अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

सत्यमेव जयते

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/02/2020-21 12 मई, 2020

सेवा में,

श्रीयुत मुख्य सचिव व केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,
हरियाणा सरकार, चौथा तल,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
सेक्टर-1, चंडीगढ़।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्रीमती मेवा देवी निवासी मकान नं. सी-170, प्रेम नगर, नजफगढ़, नई दिल्ली-43 का 20.03.2020 का पत्र इस सचिवालय में 05.05.2020 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने पचास रूपये का पो.आ. सं. 95जी 475223 व सौ रूपये का पो.आ. सं. 50एच 050251 संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत इस सचिवालय को अपने पूर्व प्रेषित पत्रों, जिन्हें इस सचिवालय द्वारा उचित तिथि पर श्रीयुत मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को उचित कार्रवाई/ध्यानाकर्षण हेतु अग्रेषित कर दिया गया है, पर की गई कार्रवाई की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है। अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि पत्र की विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

RTI No. 2

सेवा में

Vice President's Secretariat
Dy. No. 981
Date 5/5/20
New Delhi

जनसूचना अधिकारी
श्री वैंकेया नायडू
उप–राष्ट्रपति कार्यालय
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय – **जनसूचना अधिनियम–2005 के अन्तर्गत जनसूचना प्राप्त किए जाने हेतु अनुरोध**

महोदय,

कृपया, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा श्री वैंकेया नायडू, माननीय उप–राष्ट्रपति, भारत की सेवा में 'मा. उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित 'आदेश' एवं मा. परिवार न्यायालय, द्वारका, नई दिल्ली द्वारा पारित 'डिक्री' के अनुपालन में वरिष्ठ नागरिक अद्योहस्ताक्षरी एवं 02 नाबालिग सुपौत्रियों को न्याय दिलाने हेतु सविनय अनुरोध' विषयक प्रेषित मूल पत्र, दिनांक 16.10.2019, प्रथम अनुस्मारक पत्र, दिनांक 16.11.2019, द्वितीय अनुस्मारक पत्र, दिनांक 16.12.2019, तृतीय अनुस्मारक पत्र, दिनांक 16.01.2020, चतुर्थ अनुस्मारक पत्र, दिनांक 16.02.2020 एवं पंचम अनुस्मारक पत्र, दिनांक 16.03.2020 अर्थात् उपरोक्तानुसार प्रेषित कुल 06 अनुरोध–पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें तथा तत्सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी को जनसूचना अधिनियम–2005 के अन्तर्गत निम्नलिखित जनसूचना प्रदान करने का कष्ट करें कि –

1. क्या अद्योहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्तानुसार श्री वैंकेया नायडू, माननीय उप–राष्ट्रपति, भारत की सेवा में भारतीय डाक विभाग की पंजीकृत सेवा के माध्यम से प्रेषित किए गए 06 अनुरोध–पत्र प्राप्त हुए हैं ?
2. यदि हां, तो उक्त 06 अनुरोध–पत्रों पर माननीय उप–राष्ट्रपति महोदय द्वारा क्या लिखित निर्देश जारी किए गए हैं
3. कृपया, उपरोक्तानुसार जारी लिखित निर्देशों की प्रमाणित छायाप्रतियां प्रदान करने का कष्ट करें।
4. माननीय उप–राष्ट्रपति महोदय द्वारा उपरोक्तानुसार जारी लिखित निर्देशों के अनुपालन में अभी तक नियमानुसार क्या कार्यवाही सम्पन्न हुई है ?
5. कृपया, उपरोक्तानुसार सम्पन्न कार्यवाही से सम्बन्धित प्रपत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियां प्रदान करने का कष्ट करें।
6. अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित प्रश्नगत 06 अनुरोध–पत्रों के सम्बन्ध में क्या नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ?
7. यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रपत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियां प्रदान करने का कष्ट करें।
8. अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित प्रश्नगत 06 अनुरोध–पत्रों के सम्बन्ध में नियमानुसार क्या अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया गया है ?
9. यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रपत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियां प्रदान करने का कष्ट करें।
10. अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित प्रश्नगत 06 अनुरोध–पत्रों के सम्बन्ध में क्या नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अभी जारी है ?
11. यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रपत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियां प्रदान करने का कष्ट करें।

12. अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित प्रश्नगत 06 अनुरोध–पत्रों के सम्बन्ध में यदि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अभी जारी है तो वर्तमान में किस स्तर पर लम्बित है ?

13. कृपया, तत्सम्बन्धी प्रपत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियां प्रदान करने का कष्ट करें।

14. अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित प्रश्नगत 06 अनुरोध–पत्रों के सम्बन्ध में यदि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अभी जारी है तो भविष्य में कब तक उसके पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

15. क्या प्रश्नगत प्रकरण में डॉ. सरोजिनी जमदग्नि से अद्योहस्ताक्षरी के मकान की चाबी एवं दोनों नाबालिग सुपौत्रियों के बैंक खातों के विवरण की प्राप्ति हेतु सम्पर्क स्थापित किया गया है ?

16. यदि हां तो क्या प्रश्नगत प्रकरण में डॉ. सरोजिनी जमदग्नि से अद्योहस्ताक्षरी के मकान की चाबी एवं दोनों नाबालिग सुपौत्रियों के बैंक खातों का विवरण प्राप्त हो गया है ?

17. यदि हां तो अद्योहस्ताक्षरी प्रश्नगत मकान की चाबी एवं बैंक खातों का विवरण किस समय और किस स्थान अथवा किन अधिकारी या किस कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं ?

18. यदि नहीं तो प्रश्नगत प्रकरण में डॉ. सरोजिनी जमदग्नि से अद्योहस्ताक्षरी के मकान की चाबी एवं दोनों नाबालिग सुपौत्रियों के बैंक खातों का विवरण की प्राप्ति नहीं हो पाने का क्या कारण है ?

19. यदि नहीं तो प्रश्नगत प्रकरण में डॉ. सरोजिनी जमदग्नि से अद्योहस्ताक्षरी के मकान की चाबी एवं दोनों नाबालिग सुपौत्रियों के बैंक खातों का विवरण कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ?

20. कृपया, उपरोक्तानुसार हां या नहीं से सम्बन्धित सम्पन्न हुई कार्यवाही से सम्बन्धी समस्त प्रपत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियां प्रदान करने का कष्ट करें।

21. अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित प्रश्नगत 06 अनुरोध–पत्रों के सम्बन्ध में अभी तक समस्त स्तरों पर जारी समस्त लिखित निर्देशों की प्रमाणित छायाप्रतियां प्रदान करने का कष्ट करें।

22. अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित प्रश्नगत 06 अनुरोध–पत्रों के सम्बन्ध में अभी तक समस्त स्तरों पर सम्पन्न समस्त आवश्यक कार्यवाहियों से सम्बन्धित प्रपत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियां प्रदान करने का कष्ट करें।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सम्प्रति जनसूचना आवेदन–पत्र के साथ जनसूचना शुल्क के रूप में 50 रू. के भारतीय पोस्टल ऑर्डर सं. 95G-475223 दिनांक 16.03.2020 तथा यहां मांगी जा रही प्रमाणित छायाप्रतियों के खर्च के रूप में 100 रू. के भारतीय पोस्टल ऑर्डर सं. 50H-950251, दिनांक 16.03.2020 मूल रूप से संलग्न हैं। अतः आपसे ससम्मान अनुरोध है कि कृपया अद्योहस्ताक्षरी को प्रश्नगत जनसूचना अद्योहस्ताक्षरी के निम्नलिखित पते पर भारतीय डाक विभाग की पंजीकृत डाक सेवा के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।

दिनांक – 20.03.2020

भवदीया

मेवा

(मेवा देवी)

म. नं. सी–170, प्रेम नगर
नजफगढ़, नई दिल्ली–43
दूरभाष सं. : 9125625040–9634725040

পঞ্চাশ টকা পঞ্চাশ টাকা પચાસ રૂપિયા ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು അൻപതു രൂപ पन्नास रुपये ପଚାଶ ଟଙ୍କା ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ पञ्चाशद् रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO जन सूचना अधिकारी
उपराष्ट्रपति कार्यालय, नई दिल्ली को

पचास रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES FIFTY ONLY

₹50

AT THE POST OFFICE AT
नई दिल्ली
के डाकघर में अदा करें।

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

इस आर्डर को जारी करने की तारीख सहित अंकित डाकघर की मुहर
PAYING OFFICE STAMP WITH DATE CANCELLING THIS ORDER

सत्यमेव जयते

कमीशन COMMISSION रुपए 5 RUPEES

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.
मेवा देवी
म. न. सी-170, प्रेम नगर
नजफगढ़, नई दिल्ली-43

वैधता- जारी करने के महिने के अंतिम दिन से 24 महिने और व्दितिय कमिशन के भुगतान जारी करने के महिने की अंतिम दिन से 36 महिने।
Validity- 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

95G 475223

এশ টকা একশ টাকা સો રૂપિયા ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು നൂറു രൂപ शंभर रुपये ଏକଶହ ଟଙ୍କା ਇਕ ਸੌ ਰੁਪਏ शतं रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO जन सूचना अधिकारी
उपराष्ट्रपति कार्यालय, नई दिल्ली को

एक सौ रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES ONE HUNDRED ONLY

₹100

AT THE POST OFFICE AT
नई दिल्ली
के डाकघर में अदा करें।

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

इस आर्डर को जारी करने की तारीख सहित अंकित डाकघर की मुहर
PAYING OFFICE STAMP WITH DATE CANCELLING THIS ORDER

सत्यमेव जयते

कमीशन COMMISSION रुपए 10 RUPEES

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.
मेवा देवी
म. न. सी-170, प्रेम नगर
नजफगढ़, नई दिल्ली-43

वैधता- जारी करने के महिने के अंतिम दिन से 24 महिने और व्दितिय कमिशन के भुगतान जारी करने के महिने की अंतिम दिन से 36 महिने।
Validity- 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

50H 050251